आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

4.9.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बटाईदारी अपील वाद सं0 – 03/2012–13
बटाईदारी अपील वाद सं0 – 04/2012–13

गुलाय ऋषिदेव, पिता–स्व0 बदुरी ऋषिदेव, ग्राम+पो0–बजुरी, गोड़ियारे घाट, वार्ड नं0 6, थाना–भरगामा, जिला–अररिया – अपीलार्थी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 दामोदर सिंह
2. बबन सिंह, पिता–विन्देश्वरी सिंह
3. पवन सिंह, पिता–विन्देश्वरी सिंह
4. सुरेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 परमानंद सिंह
5. बबलु सिंह, पिता–स्व0 परमानंद सिंह

सभी ग्राम+पो0–भरगामा, थाना–भरगामा, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत दोनों वाद आवेदक गुलाय ऋषिदेव, पिता–स्व0 बहुरी ऋषिदेव, ग्राम+पो0–खजुरी गोड़ियारे घाट, वार्ड नं0 6, थाना–भरगामा, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 62/2008–09 एवं 32/2010–11 धारा 48 ई0बी0टी0 एक्ट में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 31.7.2012 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 13.9.2012 को दाखिल किया गया। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 22.11.2012 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा संबंधित पक्षों को समाहर्त्ता न्यायालय से सूचना निर्गत की गई। जहाँ विपक्षीगण उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल कर चुके है। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.8.2015 द्वारा इसे विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1266/वि0, दिनांक 04.09.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
खजुरी	33	2721	90 डी0
	33	2619	1.30 डी0
	शिकमी खाता 09	2620	

हस्तांतरण उपरांत उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष गुलाय ऋषिदेव के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 33 का शिकमी खाता 9, खेसरा सं0 2619 एवं 2620, रकवा 1.30 ए0 अपीलार्थी के पिता के नाम शिकमी खतियान दर्ज है। अपीलार्थी के मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को लगभग 14–15 वर्षों से जोत आवाद करता आ रहा है तथा फसल बाँट कर कायमीदार के उत्तराधिकारी को देता आ रहा है। निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में दिनांक 31.7.2012 को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई थी। अपीलार्थी निम्न न्यायालय में कुछ दिन अस्वस्थ रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। जिसको आधार बनाकर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अपने आदेश दिनांक 31.7.2012 द्वारा अपीलार्थी के बटाईदारी वाद सं0 62/2008–09 एवं 32/2010–11 को बिना गुण–दोष को सुने खारिज कर दिया। चूँकि अपीलार्थी के दावे पर काई सुनवाई निम्न न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अतः उक्त दोनों वाद में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 31.7.2012 को रद्द करते हुए रिमांड किये जाने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वाद निर्वाहन योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी कभी भी वाद भूमि का बटाईदार नहीं था और न ही है। उनका दावा गलत है। विपक्षी स्वयं दखलकार थे और अपनी दखल के दौरान ही उचित मूल्य प्राप्त कर वाद भूमि विशुनदेव मुखिया, कुलदेव मुखिया, दोनों पिता–स्व0 पिरघू तारानंद यादव, उदयानंद यादव, विद्यानंद यादव एवं दिनेश यादव, सभी पिता–स्व0 लक्ष्मण यादव, सभी सा0–खजुरी, पो0–खजुरी, थाना–भरगामा, जिला–अररिया एवं राधेश्याम मुखिया, पिता–भागवत मुखिया, ब्रहमदेव ऋषिदेव, पिता–स्व0 रामेश्वर ऋषिदेव व दुरिया देवी, पति–ब्रहमदेव ऋषिदेव, सभी ग्राम–खजुरी, पो0–खजुरी, थाना–भरगामा, जिला–अररिया के हाथ निबंधित दस्तावेज द्वारा बिक्री कर दी गई है, जो वाद भूमि पर दखलकार है। जिसकी पूरी जानकारी अपीलार्थी को है। बिक्री के पश्चात् विपक्षीगणों को वाद भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अतः जबतक अपीलार्थी उपरोक्त खरीदार को पक्षकार नहीं बनाता है तब तक यह अपील वाद पोषणीय नहीं है।

अतः उपरोक्त के आधार पर अपीलार्थी के दाखिल दोनों अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा अपीलार्थी के दावे को बिना गुण–दोष के एवं उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना साथ ही बटाईदारी के सुसंगत नियमों का अनुपालन किये बिना दिनांक 31.7.2012 को आदेश पारित किया गया है। जिसे निरस्त करते हुए रिमांड (सुपुर्द) किया जाता है तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तथा स्वयं स्थल निरीक्षण कर एवं 48

ई0बी0टी0 एक्ट के सुसंगत नियमों का अनुसरण करते हुए मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 125 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 04 / 09 / 2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को बटाईदारी वाद सं0 62 / 08–09 एवं 32 / 10–11 (गुलाय ऋषिदेव बनाम गजेन्द्र सिंह एवं अन्य) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.9.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया